



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102022-239532
CG-DL-E-10102022-239532

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4601]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 10, 2022/आश्विन 18, 1944

No. 4601]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 10, 2022/ASVINA 18, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

का.आ. 4811(अ).—केंद्रीय सरकार, बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 3 के साथ पठित बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक ऐसी सलाहकार समिति, जिसे तकनीकी सलाहकार समिति के नाम से जाना जाएगा, का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

1.	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, मुम्बई	- अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद	- सदस्य
3.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार, नई दिल्ली	- सदस्य
4.	महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	- सदस्य
5.	मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक, नागपुर	- सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद	- सदस्य
7.	निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	- सदस्य
8.	अध्यक्ष, बालक और कुमार मनोविकार-चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान (निमहेन्स), बैंगलुरु	- सदस्य

[फा. सं. ए-42011/2/2016-सीएलई-फाइल]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2022

S.O. 4811(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) read with rule 3 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules 1988, the Central Government hereby constitutes an advisory committee to be called the Technical Advisory Committee consisting of the following members, namely:-

1. Director General, Factory Advice Service and Labour Institutes, Mumbai -Chairman
2. Director General of Mines Safety, Dhanbad -Member
3. Director General of Health Services, Government of India, New Delhi -Member
4. Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi -Member
5. Chief Controller of Explosives, Nagpur -Member
6. Director, National Institute of Occupational Health, Ahmedabad -Member
7. Director, Council of Scientific and Industrial Research-
Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow -Member
8. Head, Department of Child and Adolescent Psychiatry,
National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS),Bengaluru -Member.

[F. No. A-42011/2/2016-Cle-File]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.